<u>न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गोपालगंज</u>

<u>विविध वाद सं0—26 / 2026</u>

नवनीत खरवार .... आवेदक
बनाम
पुनम देवी .... विपक्षी

<u>14.03.2026</u> उभयपक्ष रा. लोक अदालत के पीठ के समक्ष उपस्थित हुए। वर्तमान विविध वद आवेदक नवनीत खरवार द्वारा भरण—पोषण वाद सं0—231 / 2013 (सी0आई0एस0—20 / 2014) के आदेश को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। उभयपक्षों के बीच सुलह—समझौते के आधार पर यह तय हुआ है कि आवेदक द्वारा विपक्षी को एकमुश्त भरण—पोषण के रूपए मे मो0 एक लाख पैंतिस हजार रूपए का भुगतान करेंगे, जिसमे से मो0 पचास हजार रूपए का भगतान विपक्षी को किया जा चुका है। शेष मो0 पचासी हजार रूपए का भुगतान आवेदक द्वारा विपक्षी को आपराधिक मुकदमा मे गवाही के दौरान किया जाएगा। इसी शर्त व सुलह समझौते के आधार पर भरण—पोषण वाद सं0—231 / 2013 (सी0आई0एस0—20 / 2014) मे पारित अंतिम आदेश दिनांक 16.07.2019 को निरस्त किया जाता है। भविष्य मे समझौता राशि भुगतान के पश्चात् विपक्षी पुनम देवी आवेदक नवनीत खरवार के विरूद्ध कोई दावा नही करेगी। अतः सुलह—समझौते के आलोक मे वाद का निष्पादन किया जाता है। पंचाट की एक प्रति मूल भरण—पोषण वाद सं0—231 / 2013 (सी0आई0एस0—20 / 2014) मे संलग्न करें।

पीठासीन पदाधिकारी